

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-ri@nic.in)

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (जी-2460/2013) (लिंक नं. 12272)/ अलेसे-1 I/ दिनांक :- 895-900
03/10/23

कार्यालय आदेश

श्री गणेश राम वर्मा, पुत्र श्री बंशी लाल वर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1A (लिंक नं. 12272) कार्यालय, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर जिनका जन्म दिनांक 20.06.1992 है, ने अपने विभाग के पत्रांक 25340 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपना नाम गणेश राम वर्मा से परिवर्तित कर ‘गणेश वर्मा’ करने का आवेदन किया है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 08(क) के निर्णय 05 के अनुसार राजस्थान राजपत्र (गजट) के साधारण अंक 24, भाग संख्या 07 जिल्द 73 दिनांक 09.09.2021 के पृष्ठ संख्या 2072 एवं समाचार पत्र समाचार जगत दिनांक 06.01.2023 में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम ‘गणेश वर्मा’ विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1A/11A)

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (जी-2460/2013) (लिंक नं. 12272)/ अलेसे-1 I/ दिनांक :- 895-900
03/10/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (डीपीसी सेक्शन/एसीआर सेक्शन/पदस्थापन) कार्यालय हाजा।
2. संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग, राजस्थान (जयपुर)।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
4. श्री गणेश वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1A कार्यालय पर्यटन विभाग, राजस्थान (जयपुर)।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1A/11A)